प्रश्न सं. [क. 746]

मध्यप्रदेश शासन, सिंचाई विभाग

=================================

क्रमांक: 15/31/84/मध्यम/31 भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 1988

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
भोपाल।

विषय:-सिंचाई विभाग में पीस/वर्क वर्क आर्डर पध्दति द्वारा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन।

पीस वर्क पध्दति के उपयोग को युक्तियुक्त व नियमित करने के लिये तथा विभिन्न स्तर पर वित्तीय सीमाओं को निर्धारित करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है। विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे जो दिनांक 16 सितम्बर 1988 से प्रभावशील होंगे।

1/ समस्त निर्माण कार्यों के लिये निविदाएं बुलाना आवश्यक है। यदि दो बार निविदाएं बुलाने पर निविदा न प्राप्त होने के कारण अथवा प्राप्त निविदा में उपयुक्त दर न होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा ठेके निर्धारित करना संभव नहीं होता है इस हालत में सिंचाई विभाग के अधिकारी नीचे कंडिका-3 के अनुसार पीस वर्क/वर्क आर्डर, पध्दति से कार्य कराने के लिये सक्षम होंगे।

2/ आपातकालीन स्थिति एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में अधीक्षण के माध्यम से कार्यपालन यंत्री द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर मुख्य अभियन्ता अभिलेख में लिखित रूप से कारण दर्शाते हुए पीस वर्क/वर्क आर्डर पध्दति पर बिना निविदा बुलाए कार्य हाथ में लेने के आदेश इस पत्र की कंडिका 3 में दर्शायी गयी परिधि में दे सकेंगे। अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्री को इस विशेष परिस्थितियों में पीस वर्क वर्क/आर्डर पर कार्य कराने का स्वयमेव कोई अधिकार नहीं होगा एवं मुख्य अभियन्ता के लिखित अनुमति उपरान्त ही पीस वर्क पर ऐसे कार्य किये जा सकते हैं।

3/ उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में दर्शायी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक सिंचाई संभाग में वित्तीय वर्ष में पीस वर्क वर्क/आर्डर प्रणाली द्वारा कार्य निम्नानुसार सम्पादित कराये जा सकते है।

कार्यपालन यंत्री, अपने संभाग (डिवीजन) में सभी कार्यों पर प्रतिवर्ष रुपये 2 लाख तक ।

-/- अधीक्षण यंत्री अपने मण्डल, के अंतर्गत प्रत्येक संभाग/डिवीजन में रुपये 2 लाख तक ।

पीस वर्क/वर्क आर्डर पर कार्य कराने की उपरोक्त स्वीकृति प्रत्येक वर्ष 30 अर्थात् कार्य ऋतु (   ) अन्त तक प्रभावशील होगी । तत्पश्चात् निविदायें बुलाकर ठेके निर्धारण के प्रयास नियमानुसार पुनः करने होंगे ।

4/- पीस वर्क/वर्क आर्डर पद्धति पर कार्य कराने के दर निर्धारण एंव अन्य संबंधित पर वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया व निर्देश यथावत रहेंगे । सुलभ सन्दर्भ हेतु संक्षेप में उसे परिशिष्ट-1, में दर्शाया गया है ।

5/- पीस वर्क/वर्क आर्डर पद्धति से कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखने के लिये नियम दिये जाते है ।

1/- कण्डिका 2 में उल्लेखित अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर, पीस वर्क/वर्क आर्डर के अंतर्गत माह की पहली से 10 तारीख तक ही पीस वर्क/कार्यादेश जारी किए जा सकेंगे एंव माह के शेष अवधि में कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किये जावेगा ।

2/- कार्यपालन यंत्री, प्रत्येक माह उनके संभाग में जारी किये गये पीस वर्क/वर्क की संख्या एंव राशि दर्शाते हुए एक प्रपत्र आगामी माह की 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्री, को प्रस्तुत करेंगें । अधीक्षण यंत्री इसी प्रकार उनके द्वारा जारी किये गये पीस वर्क/वर्क आर्डर एंव उनके अधीनस्थ संभागों में जारी किये गये पीस वर्क/वर्क आर्डर की संख्या एंव लागत की जानकारी सम्मिलित कर एक प्रपत्र आगामी माह की 20 तारीख तक मुख्य अभियन्ता, को प्रस्तुत करेंगें । मुख्य अभियन्ता, सुनिश्चित करेंगें कि माह की 25 तारीख तक पिछले महिने में उनके अधीनस्थ अधीक्षण यंत्रियों की जानकारी संकलित कर प्रमुख अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

हस्ता0/-
(जे0आर0मल्होत्रा)
सचिव,
म0प्र0 शासन, सिंचाई विभाग.

पृ0 क्रमांक 15/13/84/मध्यम/31, भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 1988

प्रतिलिपि:-

समस्त संबंधित कार्यालयों की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

कृपया शासन के निर्देशों को अनुसार उचित कार्यवाही करें तथा कड़ाई से पालन करें ।

हस्ता0/-
जे0सी0उत्तमचन्दानी (संयुक्त सचिव
म0प्र0 शासन, सिंचाई विभाग,

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

पत्र क्रमाक 4214028 / पार्ट–3 / मध्यम / 31 / 2011 / , भोपाल, दिनांक / / 2011
प्रति,

प्रभुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

विषय:– पीस वर्क पर कार्य करने हेतु **शासन के आदेशों में संशोधन ।**
संदर्भ:– (1) आपका प्रस्ताव एकल नस्ती क्रं. 4214028 / पार्ट–3 / 167 / प्र.अ. / 2011 दिनांक 10–10–2011
(2) शासन का पत्र क्रं. 15 / 31 / 84 / मध्यम / 31 दिनांक 02–09–1988
(3) शासन का पत्र क्रं. 15 / 31 / 84 / मध्यम / 31 दिनांक 20–06–1990

----00----

शासन आदेश क्रमाक 15 / 31 / 84 / म. / 31 दिनांक 02 सितम्बर 1988 की कंडिका क्रमांक–3(क) मे प्रत्येक संभाग में ₹ 2.00 लाख तक पीसवर्क पर कार्य करने की सीमा निर्धारित है, जिसे संशोधित कर मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं के लिए ₹ 20.00 लाख किये जाने जाने का निर्णय किया गया है ।

तदनुसार कार्यपालन यंत्री अपने संभाग में अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा उपरान्त मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति से सभी कार्यों पर प्रतिवर्ष ₹ 20.00 लाख तक के कार्य पीस वर्क पर कर सकेंगे । शासन आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी ।

04/11/2011
(अश्विनी कुमार उपमन्यु)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमाक 4214028 / पार्ट–3 / मध्यम / 31 / 2011 / 928 भोपाल, दिनांक 2 / 11 / 2011
प्रतिलिपि:–

(1) अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
(2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
(3) महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर / भोपाल
(4) सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
(5) अपर सचिव, म.प्र. शासन, पाइक्, जल संसाधन विभाग
(6) अवर सचिव / वि.क.अ.(यो / ब) म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
(7) समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की ओर शासन के निर्देशों के परिपालन में उचित कार्यवाही करें ।

2011
(अश्विनी कुमार उपमन्यु)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग